

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7(523)परि/नियम/मु./2018 / 9788


जयपुर, दिनांक/09/05/18

आदेश

ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालकों के प्रशिक्षण हेतु स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र का प्राधिकार-पत्र

(देखें:- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 8 ए)

मैसर्स ऑटोलाईट (इंडिया) लिमिटेड जयपुर पता गहार हाउस आयुर्वेदिक संस्थान के सामने, जोरावर सिंह गेट, गंगा पोल, आमेर रोड जयपुर को ई-रिक्शा/ई-कार्ट चालकों को केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989, के नियम 8ए में अपेक्षित 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है। यह स्वीकृति मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के सर्वोत्तम प्रावधानों एवं विभागीय कार्यालय आदेश 16/2018 दिनांक 09.05.2018 की शर्तों के अधीन होगी। मैसर्स ऑटोलाईट (इंडिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा राज्य के ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालकों हेतु यह प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।


(आर. सी. यादव)

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)